

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग.

क्रमांक : प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 07-08-19

—: आदेश :-


राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि विभाग में पदस्थापित कार्मिकों (संविदा कर्मियों सहित) में से काफी संख्या में कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पर कार्य संपादन हेतु लगाया हुआ है।

इस प्रकार की व्यवस्था से कुछ चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों में चिकित्सको/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिशेष रूप से अतिरिक्त कार्मिक कार्यरत है, तथा कुछ संस्थानों पर कार्मिकों की कमी बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के आमजन को आवश्यक चिकित्सा सेवायें समय पर नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा चिकित्सा संस्थानों के अंकेक्षण के समय भी स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कार्यव्यवस्था/प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों बाबत ऑडिट आक्षेप लिया जाता है। इस स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से सभी चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदस्थापित चिकित्सक/कार्मिकों (संविदा कर्मिकों सहित) को उनके मूल पदस्थापन स्थान पर लगाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सभी नियंत्रणाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके अधीन कार्य व्यवस्था/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिए तुरत कार्यमुक्त कर मालना रिपोर्ट दिनांक 15.08.2019 तक आवश्यक रूप से निदेशक (जन स्वास्थ्य) को भिजवायें। इसके अतिरिक्त नियंत्रणाधिकारी दिनांक 31.08.2019 तक यह Undertaking भी देंगे कि उनके अधीन कार्य व्यवस्थार्थ /प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी कार्मिकों को मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है।


यदि किसी विशेष प्रयोजनार्थ किसी चिकित्सा संस्थान में कार्य संपादन/प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लगाने की नितान्त आवश्यकता हो तो स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक प्रस्ताव संलग्न प्रोफार्मा में निदेशक(जन स्वास्थ्य) एवं अति० निदेशक(प्रशासन) के माध्यम से राज्य सरकार को दिनांक 19.08.2019 तक भिजवाये जा सकेंगे।

संलग्न: प्रपत्र।

  
(रोहित कुमार सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2/3)विभाग, राजस्थानजयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक(जन.स्वा/आरसीएच/ईएसआई/एड्स/एमएसयू), मुख्यालय जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त मेडिकल कॉलेज एवं संलग्नक चिकित्सालय संघ, राजस्थान
8. अधीक्षक, रामस्त संलग्न चिकित्सालय, संघ, राजस्थान
9. अति० निदेशक(प्रशासन/राजपत्रित/आरसीएच/ग्रामीण स्वास्थ्य/चि०प्र०), मुख्यालय।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही सभी संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

  
(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव

| क्र. सं. | कर्मचारी/अधिकारी का नाम | पदनाम | मूल पदस्थापन स्थान | प्रतिनियुक्ति/कार्यसंपादन स्थान जहाँ लगाया जाना है। | प्रतिनियुक्ति/कार्यसंपादन पर लगाये जाने के कारण |
|----------|-------------------------|-------|--------------------|---|---|
|          |                         |       |                    |   |   |
|          |                         |       |                    |   |   |
|          |                         |       |                    |   |   |
|          |                         |       |                    |   |   |
|          |                         |       |                    |   |   |

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक - राजपत्रित/सामान्य/प-26/2019/398

दिनांक 13/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)विभाग, राज. जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं संलग्नक चिकित्सालय, संघ, राजस्थान।
4. निदेशक(आरसीएच/ईएसआई/एड्स/एमएसयू), मुख्यालय जयपुर।
5. अति० निदेशक(प्रशासन/राजपत्रित/आरसीएच/ग्रामीण स्वास्थ्य/चि०प्र०), मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही सभी संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।